की तिथि 1	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी ता0 सहित 3
26.09.2019	**न्यायालय अन्तर्गत उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।** मुटेशन अपील वाद सं0–07/2017–18 भोला मंडल–बनाम–यमुना मंडल **अपीलार्थी** भोला मंडल, पिता–स्व0 गोविन्द मंडल, सा0–जयन्तिग्राम, महादेवगंज, थाना–साहेबगंज (मु0), अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज, झारखण्ड। **विपक्षी(उत्तरवादी)** यमुना मंडल, पिता–हीरा मंडल, सा0–जयन्तिग्राम, महादेवगंज, थाना–साहेबगंज (मु0), अंचल–साहेबगंज, जिला–साहेबगंज, झारखण्ड। **–: आदेश :–** यह अपीलवाद अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–23.10.2017 को अंचल अधिकारी, साहेबगंज के मुटेशन वाद के आदेश तिथि–20.02.16, मुटेशन वाद सं0–381/2015–16 के विरूद्ध प्रांरभ किया गया। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गई। मूल अभिलेख अंचल अधिकारी, साहेबगंज ने पत्रांक–490/रा0, दिनांक–22.06.2019 द्वारा उपलब्ध कराने के उपरान्त उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–लालबथानी, ज0नं0–101 में खतियानी रैयत गुजाई मंडल के नाम से कुल रकवा–08–00–00 (आठ बीधा) धूर जमीन था। गुजाई मंडल के दो पुत्र–गोविन्द मंडल एवं हीरा मंडल था। खतियानी रैयत गुजाई मंडल की मृत्यु परान्त दोनों पुत्र संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी के हक से उक्त 08 (आठ) बीधा भूमि प्राप्त हुआ। हीरा मंडल की मृत्यु के पश्चात् गोविन्द मंडल (हीरा मंडल का भाई) ने 08 (आठ) बीधा जमीन में से मात्र 02 (दो) बीधा भूमि अपना बेटा भोला मंडल (अपीलार्थी) को निबंधित केवाला सं0–3111/85 एवं अपने भाई का बेटा यमुना मंडल (विपक्षी–उत्तरवादी) को 06 (छः) बीधा जमीन निबंधित केवाला सं0–3110/85 द्वारा हिस्से के रूप में दे दिया। इस तरह दोनों अपने–अपने हिस्से की जमीन में शांतिपूर्वक दखलकार हो गये। पुनः विपक्षी (यमुना मंडल) ने अपने हिस्से की प्राप्त भूमि 06 (छः) बीधा में से 03 (तीन) बीधा जमीन सियाराम मंडल को निबंधित केवाला सं0–3973/90 द्वारा बेच दिया गया। विपक्षी यमुना मंडल के पास 03 (तीन) बीधा भूमि बेचने के पश्चात् अवशेष भूमि मात्र 03 (तीन) बीधा ही बचा। उत्तरवादी द्वारा अवशेष भूमि 03 (तीन) बीधा जमीन का मुटेशन नहीं कराकर अपितु भोला मंडल (अपीलार्थी) की भी 02 (दो) बीधा जमीन अर्थात् कुल 05 (पांच) बीधा जमीन का मुटेशन अपने नाम से करा लिया, जो बिल्कुल गलत और निराधार है। इसके उत्तरस्वरूप विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के दलिल का समर्थन करते हुए स्वीकार किया है कि अंचल द्वारा भूलवश 03 (तीन) बीधा के स्थान पर 05 (पाँच) बीधा का नामान्तरण हो चुका है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अतः उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्तों को सुनने के पश्चात् एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अध्ययनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचलाधिकारी, साहेबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया मुटेशन निराधार एवं अवैध है क्योंकि विपक्षी के पास मात्र 03 बीधा ही जमीन बिक्री के पश्चात् बचता है। विपक्षी यमुना मंडल द्वारा भोला मंडल का भी जमीन का	

Scanned with CamScanner

क्रमांक एवं आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	कार्यालय टिप्पणी
1	2	

मुटेशन अपने नाम से करा लिया गया, जो गलत है। अतएव अपीलार्थी के अपील आवेदन–पत्र को स्वीकृत किया जाता है तथा अंचल कार्यालय, साहेबगंज का मुटेशन पारित आदेश तिथि 20.02.2016, मुटेशन वाद सं0–381/ 2015–16 को रद्द/खारिज किया जाता है। विपक्षी (उत्तरवादी) चाहे तो सक्षम न्यायालय में इस वाद के विरूद्ध अपील दायर कर सकते है। यह आदेश उभय पक्ष/उभय के विज्ञ अधिवक्ता को दिखायें।

अंतिम आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज को वापस किया जाता है। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त (बन्द) किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

ज्ञापांक /डी.सी.एल.आर. साहेबगंज, दि०

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :-

1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि।
2. नामान्तरण वाद सं.- 381/2015-16 (जमुना मंडल, पिता- हीरा मंडल, ग्राम- जयंतिग्राम महादेवगंज) कुल - 09 (नौ) पन्ने में मूल अभिलेख।

उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।
28.9.19